न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2015 (डूंगरपुर डिक्री)

ईस्माईल पुत्र श्री नूर मोहम्मद कुजडा मुसलमान मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती कुलसुम बानु बेवा महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/2. मोहम्मद यूनुस पिता महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/3. मोहम्मद असलम पिता महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/4. मोहम्मद अकरम पिता महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/5. मोहम्मद सलीम पिता महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/6. सुश्री बानु पुत्री महरूम ईस्माईल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता श्रीमती कुलसुम बानु बेवा महरूम ईस्माईल, निवासी लालपुरा, डूंगरपुर

1/7. सुश्री सलमा पुत्री महरूम ईस्माईल नाबालिग जरिये प्राकृतिक वली माता श्रीमती कुलसुम बानु बेवा महरूम ईस्माईल कुजडा मुसलमान निवासी लालपुरा, डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. नगर परिषद, डूंगरपुर जरिये आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 29.05.2015, प्र. सं. 91/09

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री महेश जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

निर्णय **दिनांक 04–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार के विरूद्ध एक वाद धारा

88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 125 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम चक डूंगरपुर की आराजी नंबर 1 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की है। जिला डूंगरपुर के पूर्व शासक महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे, जिससे जिला डूंगरपुर की सम्पूर्ण आराजियात पर उनका स्वामित्व एवं प्रभुत्व था तथा वह अपनी इच्छा से किसी को भी कोई जमीन हस्तान्तरित करने को स्वतंत्र थे एवं इसी कारण उनके द्वारा वादी की भूमि के पूर्व स्वामी भगवानदास जी को उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का दिनांक 28–09–1964 को विक्रय कर दिया, जिसे बाद में वादी द्वारा दिनांक 06–11–1982 को भगवानदास जी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर परकोटा बना होकर फाटक लगा हुआ है तथा इसके अन्दर कुंआ तथा एक कच्चा व एक पक्का मकान स्थित है। उक्त भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2034 में हुआ, जिसमें वादी की उक्त भूमि के नये नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार बने हैं। भू–प्रबन्ध की गलती से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि वादी का उक्त भूमि पर कब्जा 1982 से निरन्तर चला आ रहा है। जागीर रिज्यूम की कार्यवाही के वक्त उक्त भूमि सीलिंग में अधिग्रहण नहीं की गयी थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने ईस्माईल बनाम भगवानदास मुकदमा नंबर 28/87 में दिनांक 14–06–1988 को आदेश पारित करते हुए वादी के नाम नियमन करने के आदेश जारी किये हैं, जो आज भी प्रभावशील है। प्रतिवादी सरकार वादी को अतिक्रमी मानकर हर साल पेनाल्टी वसूल करती है। निवेदन किया कि वादी को वाद पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित कुल रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार गिर्वा ने जवाब प्रस्तुत कर पंजीकृत विक्रय विलेख एवं कब्जा होना स्वीकार किया तथा यह भी माना कि भूमि अनसर्वेड होकर रखत जंगल राजधानी में स्थित थी। समग्र रूप से सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है वह किसी स्पेशिफिक वाद का नहीं किया गया हैं।

प्रकरण में दिनांक 05–03–2014 की आदेशिकानुसार वर्णित किया गया कि पैरोकार सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए तथ्यों को रिकार्ड

द्वारा सिद्ध करने का निवेदन किया है। अतः वाद बिन्दु तय करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी सरकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–05–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–07–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थिति हुए। प्रकरण में दौराने अपील कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नगर परिषद डूंगरपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद डूंगरपुर को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के रूप में सस्थित किया गया, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् आवेदन किया गया कि विवादित भूमि नगर परिषद को बिलानाम होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित कर दी गयी है इसलिए उसे भी पक्षकार बनाया जाये, तद्नुसार उसे भी पक्षकार बनाया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विवादित भूमि अपीलान्ट द्वारा महारावल लक्ष्मणसिंह जी से क्रय से प्राप्त क्रेता से पंजीकृत विक्रय पत्र से वर्ष 1982 में भूमि क्रय की गयी है, तब से अपीलान्ट/वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध थे, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी के घोषणात्मक वाद के सन्दर्भ में पेश शुदा तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं कर निम्नानुसार निर्णय पारित किया है :–

''उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अध्ययन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नकल प्रदर्श पी 9 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि बिलानाम हो राजकीय भूमि होना प्रमाणित होता है। बिलानाम भूमि बाबत् संपादित विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर ठहरते हैं। वादग्रस्त भूमि चक डूंगरपुर में स्थित होकर नगर परिषद क्षेत्र की भूमि है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर विधिक कब्जा अथवा अविरल कृषि काश्त होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। राज्य सरकार के राजस्व (गुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(7)राज/4/77/जयपुर दिनांक 10–01–2013 के बिन्दु 2 में भूमियों जिनका नियमन नहीं किया जावेगा के उप बिन्दु (12) में स्थापित निकायों की शहरी व पेरीफेरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि का नियमन प्रतिबन्धित है, के अनुसार नगरीय क्षेत्र की भूमियों पर खातेदार अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। फलतः वादीगण का वाद मौजा चक डूंगरपुर की आराजी नंबर 556 लगायत 571 व 553 बाबत् खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।''

अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलान्ट द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के विक्रय किये जाने व उक्त क्रेता के द्वारा अपीलान्ट/वादी को भूमि का पंजीकृत विक्रय किये जाने व उसका कब्जा होने के कारण खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को बिलानाम मानते हुए उक्त भूमि का नियमन नहीं किये जा सकने से संबंधित बिन्दु पर ही अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया है। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से तहसीलदार सरकार द्वारा सहमति का जवाबदावा दिया गया है, वहीं नगर परिषद के अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें अपनी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि घोषणात्मक वाद के सन्दर्भ में निर्णय किये जाने के स्थान पर सहायक कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी के नियमन नहीं किये जा सकने के कारणों का उल्लेख करते हुए वाद खारिज किया है, जबकि सहायक कलक्टर के रूप में पक्षकारों की सहमति से व उपलब्ध

साक्ष्यों का विवेचन कर उन्हें निर्णय पारित करना चाहिए था, जो नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रावधानों से इतर जाकर नियमन के आधार पर उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है, जो स्पष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–05–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में नगर परिषद को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करावाकर तथा प्रकरण में पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर जिन विधिक प्रावधानों के तहत अपीलान्ट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, उसके सन्दर्भ में उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

रामचन्द्र पिता धरमा जोहियाला मीणा बनाम **शंकर पिता लाला उर्फ लालजी मीणा**
निवासी मेताली एवं रोहनवाड़ा, हाल निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर व अन्य
निवासी फतेहपुरा, डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....**18/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**.....माह.....**.12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एस.एल. मेघवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.एस. मेहता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**.12**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।